न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः–95 / दावा / 2021

दायरा दिनांक :– 09.09.2021

GCMS ID–2021 / 179

बउनवान

1. रेखा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहिर(यादव) निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल निवासी हिण्डोली

वादीनी

बनाम

1. जमनालाल आ0 पन्ना जाति कीर निवासी शिवराज नगर, हिण्डोली
2. प्रगति कुमार आ0 गिरिराज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नये बस स्टेण्ड के पास हिण्डोली
3. लोडक्या आ0 माधो जाति कीर निवासी आम्रपाली स्कूल के सामने हिण्डोली
4. भंवरबाई पत्नि भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ओधन्धा तह0 हिण्डोली
5. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी :– श्री शंभू दयाल शर्मा

वकील प्रतिवादीगण :–एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :–18 / 02 / 2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा सं0 2310 रकबा 0.1376 है0 वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है। उक्त भूमि की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की खतोनी सं0 802 में वादीनी का हिस्सा 5 / 72 दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का हिस्सा 5 / 72 पूर्व से दर्ज है इसके उपरांत वादीनी ने उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा सं0 2310 में से प्रतिवादी प्रगति कुमार से उसके हिस्सा 1 / 3 का हिस्सा 79 / 229 अर्थात संपूर्ण खाते का हिस्सा 79 / 687 दिनांक 18.06.2021 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है इस प्रकार वादीनी का उक्त वादग्रस्त भूमि में कुल हिस्सा 3041 / 16488 है। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है लेकिन भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने एवं खाता शामलाती होने के कारण वादीनी अपने हिस्से की भूमि पर स्थायी संसाधन आदि नहीं लगा पा रही है। भूमि का बंटवारा नहीं होने के कारण सहखातेदारो के मध्य सीमाबंदी को लेकर अनावश्यक विवाद होते है ऐसी स्थिति में वादीनी सहखातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती है और अपने हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवाना चाहती

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है और इसी उद्येश्य से वादीनी ने आपसी सहमति से बंटवारा कराने हेतु दिनांक 30.08. 2021 को प्रतिवादीगण से अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इंकार हो गये। यही वाद उत्पति का कारण है जो दिनांक 30.08.2021 को आपसी सहमति से बंटवारा कराने से इंकार होने पर उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि वादीनी वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से का हिस्से एवं कब्जे के अनुसार विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे एवं हिस्से अनुसार बंटवारे में प्राप्त भूमि का नक्शे में कब्जे के अनुरूप तरमीम करवावे। एवं वादीनी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीनी के अलावा सभी अन्य सहखातेदारो की जातिंया दर्ज की हुई है। प्रतिवादी सं0 1 जमनालाल पुत्र पन्ना जाति से कीर है जिसको अहीर–यादव दर्ज किया हुआ है तथा प्रतिवादी सं02 प्रगति कुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति से ब्राह्मण है जिसको अहीर–यादव दर्ज किया हुआ है, एवं प्रतिवादी सं03 लोडक्या पुत्र माधो जाति से कीर है जिसको भी अहीर–यादव दर्ज किया हुआ है तथा प्रतिवादी सं04 भंवर बाई पत्नि भंवर सिंह जाति से राजपूत होने के बावजूद उसकी जाति अहीर–यादव दर्ज की हुई है जो गलत दर्ज की हुई है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 भूमि के सहखातेदार होने से व प्रतिवादी सं0 5 भूमिधादी राज. सरकार पक्षकार होने से पक्षकार बनया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुंल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे– भूमि खसरा सं0 2310 रकबा 0.1376 है0 वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में निहित वादीनी के हिस्से की भूमि का कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीनी का खाता प्रतिवादीगण से पृथक कायम किया जावे एवं यथासंभव वादीनी के कब्जे की भूमि ही वादीनी के हिस्से में रखी जाकर वादीनी को बंटवारे में प्राप्त भूमि की राजस्व नक्शे में कब्जे के अनुरूप तरमीम भी की जावे एवं वादीनी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीनी को उपलब्ध हो प्रदान की जावे।

वाद वादीनी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीनी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 04 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 07.03.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 05 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। जबाव पेश नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादीनी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 802 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली पेश किये है व साक्ष्य में शपथ पत्र वादीनी रेखा देवी का पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बहस वकील वादीनी सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीनी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीनी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 12.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार दबलाना को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/1865 दिनांकः– 17.06.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीनी के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीनी अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादीनी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. रेखा देवी पत्नी बाबूलाल जाति अहीर (यादव) सा0 पचेरी खुर्द खातेदार	2310/2	0.0253
	योग	**किता– 1**	**0.0253**
2.	1. जमनालाल पुत्र पन्ना हिस्सा 230/1123 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार 2. प्रगतिकुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद हिस्सा 300/1130 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार 3. भंवर बाई पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 516/1123 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार 4. लोडक्या पुत्र माधो हिस्सा 77/1123 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार	2310/2	0.1123
	योग	किता– 1	**0.1123**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का नायब तहसीलदार, दबलाना मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

<u>डिक्री मुकदमा इब्तदाई</u>

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली

बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. रेखा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहिर(यादव) निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल निवासी हिण्डोली

वादी

बनाम

1. जमनालाल आ0 पन्ना जाति कीर निवासी शिवराज नगर, हिण्डोली
2. प्रगति कुमार आ0 गिरिराज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नये बस स्टेण्ड के पास हिण्डोली
3. लोडक्या आ0 माधो जाति कीर निवासी आम्रपाली स्कूल के सामने हिण्डोली
4. भंवरबाई पत्नि भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ओधन्धा तह0 हिण्डोली
5. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :–95/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री शम्भूलाल शर्मा एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू श्री एकतरफा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. रेखा देवी पत्नी बाबूलाल जाति अहीर (यादव) सा0 पचेरी खुर्द खातेदार	2310/2	0.0253
	योग	किता– 1	0.0253
2.	1. जमनालाल पुत्र पन्ना हिस्सा 230/1123 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार 2. प्रगतिकुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद हिस्सा 300/1130 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार 3. भंवर बाई पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 516/1123 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार 4. लोडक्या पुत्र माधो हिस्सा 77/1123 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार	2310/2	0.1123
	योग	किता– 1	0.1123

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :—18.02.2026 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा		00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	मीजान		00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)